न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेडा जिला भीलवाडा(राज.)

अजा अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेडा मुकाम बनेडा

श्री नाथुलाल नाई वगै0 **बनाम** मै.सुर्या ईण्डस्ट्रीज वगै0

किस्म मुकदमा .....प्रा.पत्र 212 आर.टी.एक्ट प्र.संख्या 205/14

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकमा जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
06.02.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। वकील अप्रार्थी उपस्थित। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एंव मूल राजस्व वाद संख्या 65/2014 का अध्ययन एंव परिक्षण किया गया। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर अधिवक्ता विपक्षी द्वारा एकपक्षीय बहस करना चाहने से बहस प्रार्थनापत्र पर सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित कलमों को दौहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजीयात संख्या 1338 रकबा 03–12 बीघा भूमि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण से सप्रतिफल जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर कब्जे में प्राप्त की है। जिस पर विपक्षीगण काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। आराजी संख्या 1338 रकबा 03–12 की नपती करा उपरान्त यदि रकबा 03–12 बीघा के अतिरिक्त कोई भुमि शेष रहती है तो विपक्षीगण कब्जा सिपुर्द करने को सहमत है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र सारहीन व असत्य होकर सव्यय खारीज होने योग्य है। उपस्थित राज्य पक्ष की और से पैरोकार सरकार द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत बहस में समायत तर्को से निवेदन किया कि विवादित आराजीयात के साबिक आराजी संख्या 1000/6 रकबा 05–12 बीघा, आराजी संख्या 1000/7 रकबा 01–07 बीघा किता 02 कुल रकबा 07–00 बीघा जमाबन्दी संवत 2022 से 2025 में वादी संख्या 01 के पिता, वादी संख्या 02 के पति स्व. हजारी लाल पिता मांगीलाल व वादी संख्या 03 के नाम पर होना बताया गया है। सेटलमेन्ट कार्यवाही के दौरान पडे साबिक आराजीयात से नवीन नम्बरान खसरा संख्या 1337 रकबा 02–14 बीघा जो वर्तमान में बिलानाम काबिल काश्त दर्ज रिकार्ड होकर मौके पर विवादित भूमि खाली पडत पडी हुई है। किन्तु वादीगण ने अपने वादपत्र में विवादित भुमि पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करना बताया गया है। जो कि असत्य एंव झूंठा कथन है। इसके अतिरिक्त वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये वादपत्र से चाहा गया अनुतोष केवल मात्र आराजी संख्या 1337 रकबा 02–14 बीघा जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में बिलानाम काबिल काश्त दर्ज रिकार्ड है यानि सीधे तौर पर यह वादपत्र शासन के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में वादीगण को अपने वादपत्र प्रस्तुतिकरण से 60 दिवस पूर्व अन्तर्गत 80 जा.दी. आवश्यक प्रकृति के सूचनापत्र/नोटीस दिये जाने आवश्यक थे किन्तु वादीगण द्वारा ऐसा नही कर सीधे शासन के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है, जो न्यायिक दृष्टि से अपोषणीय होकर खारीज होने योग्य है। प्रार्थी अधिवक्ता को अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कितनी ही मर्तबा आवाजे लगाये जाने के उपरान्त भी प्रार्थीगण स्वयं अथवा उनकी और से कोई वैद्य प्रतिनिधि प्रार्थनापत्र में पैरवी करने अथना अप्रार्थीगण के तर्को का खण्डन प्रस्तुत करने हेतु हाजिर नही आया। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 212 आर.टी.एक्ट. बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। प्रकरण मूल वाद संख्या 65/2014 के साथ नत्थी रहे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाडा	